दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

राष्ट्रीय संस्थान तथा समेकित क्षेत्रीय केन्द्र

अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण बाधित संस्थान (एवाईजेएनआईएचएच), मुंबई

अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण बाधित संस्थान सोसाइटिज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत 09 अगस्त, 1983 को स्थापित किया गया था। संस्थान की स्थापना मानव शक्ति विकास, अनुसंधान, क्लिनिकल तथा थरेपेटिक सेवाऐं, श्रवण दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्ति हेतु आउटरीच तथा विस्तार सेवाओं के लिए की गई है।

संस्थान प्रशिक्षुओं तथा अध्यापकों, रोजगार अधिकारियों, मनोवैज्ञानिकों, व्यवसायिक सलाहकारों तथा ऐसे अन्य कार्मिकों को, जिन्हें संस्थान श्रवण बाधितों की शिक्षा, प्रशिक्षण अथवा पुनर्वास को बढानें हेतु आवश्यक समझें, प्रशिक्षण देने अथवा प्रायोजित करने के जरिये मानव शक्ति के विकास हेतु उत्तरदायी है। संस्थान श्रवण बाधितों की शिक्षा तथा पुनर्वास, अनुसंधान के सभी पहलुओं में प्रायोजित करता है, समन्वय करता है तथा सहायता प्रदान करता है। यह श्रवण बाधितों के पुनर्वास हेतु मॉडल सेवायें भी विकसित कर रहा है।

राष्ट्रीय बहुल दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, (एनआईईपीएमडी) चेन्नई

सरकार ने कुल परियोजना लागत 61.90 करोड रूपयें की लागत से इस नये संस्थान की स्थापना की है जिसमें 39.20 करोड रूपयें (कल्पित) भूमि लागत, 18.10 करोड रूपयें की गैर– आवृति लागत तथा 4.60 करोड रूपयें की आवृति लागत शामिल है। तमिलनाडु सरकार ने इस संस्थान के लिए भूमि प्रदान की है भारत सरकार संस्थान के भवन निर्माण तथा अन्य गतिविधियों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। संस्थान ने जुलाई 2005 से देखभालकर्ताओं हेतु क्लिनिकल सेवायें तथा लघु–अवधि प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ किये है।

स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एसवीएनआईआरटीएआर), कटक

एनआईआरटीएआर, मूल रूप से, एलिमको कानपुर की सहायक इकाई के रूप में प्रारंभ किया गया था, एनआईआरटीएआर 1984 में सोसाइटिज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत एक राष्ट्रीय संस्थान के रूप में पंजीकृत किया गया था। संस्थान के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों में मानव संसाधन विकास, सेवा प्रदायगी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, अनुसंधान तथा आउटरीच कार्यक्रम शामिल है।

यह पुनर्वास कार्मिकों हेतु प्रशिक्षण प्रदान करता है, प्रायोजित करता है अथवा समन्वय करता है तथा जीव–चिकित्सा इंजीनियरिंग तथा अस्थि दिव्यांगजनों हेतु सर्जिकल अथवा मैडिकल विषयों पर अनुसंधान आयोजित करता है। संस्थान सहायक यंत्रों एवं उपकरणों

का निर्माण तथा वितरण भी करता है। यह पुनर्वास हेतु सेवा प्रदायगी कार्यक्रमों के मॉडलों को विकसित करता है। एनआईआरटीएआर शारीरिक रूप से दिव्यांगजनों हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण, प्लेसमेंट तथा पुनर्वास भी प्रदान करता है।

राष्ट्रीय अस्थि दिव्यांग संस्थान (एनआईओएच), कोलकाता

राष्ट्रीय अस्थि दिव्यांग संस्थान, वर्ष 1978 में कोलकाता में स्थापित किया गया था। यह सोसाइटिज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत अप्रैल, 1982 में पंजीकृत किया गया था। संस्थान का मिशन गतिशील दिव्यांगजनों को पुनर्वास सेवायें प्रदान करने हेतु, पुनर्वास बलवर्धक सर्जरी, यंत्रों/उपकरणों आदि में सेवायें प्रदान करने हेतु मानव संसाधनों को विकसित करना है।

संस्थान फिजियोथरेपिस्टों, ऑकोपेस्नल थरेपिस्टों, ऑर्थोटिक्स तथा प्रोसथटिक्स तकनिशियनों के प्रशिक्षण, रोजगार तथा प्लेसमेंट अधिकारियों आदि नामक सेवायें प्रदान करने हेतु मानव शक्ति के विकास के लिए उत्तरदायी है। एनआईओएच बलवर्धक सर्जरी, यंत्रों/उपकरणों, व्यवसायिक प्रशिक्षण आदि के क्षेत्र में अस्थि दिव्यांग जनसंख्या हेतु मॉडल सेवायें भी विकसित करता है। यह अस्थि दिव्यांगजनों के सपूर्ण पुनर्वास से संबंधित सभी पहलुओं में अनुसंधान आयोजित तथा प्रायोजित करता है और अस्थि दिव्यांगजनों हेतु यंत्रों/उपकरणों के मानकीकरण में लगा रहता है तथा उनके निर्माण एवं वितरण को बढाता है।

राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान (एनआईवीएच), देहरादून

राष्ट्रीय दृष्टिहीन केन्द्र को जुलाई, 1978 में राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान के रूप में प्रोन्नत किया गया था। यह सोसाइटिज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत एक स्वायत संस्था के तौर पर अक्टुबर, 1982 में पंजीकृत की गई थी संस्थान का उद्देश्य दृष्टि दिव्यांगजनों के पुनर्वास हेतु शिक्षा के सभी पहलुओं को आयोजित, प्रायोजित तथा समन्वय करना है तथा इन क्षेत्रों में अनुसंधान का समन्वय करना है। संस्थान ने सुन्दर नगर, हिमाचल प्रदेश में दिव्यांगजनों हेतु समेकित क्षेत्रीय केन्द्र (सीआरसी) को चलाने में भी सहायता की थी।

यह शीर्ष स्तर की संस्था शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण, अध्यापकों एवं अन्य कार्मिकों का प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा सेवा मॉडयूल के विकास, दृष्टि बाधितों हेत ब्रेल पुस्तकों, यंत्रों तथा उपकरणों के उत्पादन में संलग्न है।

राष्ट्रीय मानसिक दिव्यांग संस्थान (एनआईएमएच), सिकन्दराबाद

यह संस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक स्वायत निकाय के रूप में सोसाइटिज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत वर्ष 1984 में पंजीकृ त किया गया था। इस संस्थान की स्थापना जीवन चक्र आवश्यकता के आधार पर पुनर्वास

के गुणवत्ता मॉडलों के जरियें सेवायें प्रदान करने हेतु सुसज्जित मानव संसाधनों को तैयार करने के उद्देश्य से की गई थी।

राष्ट्रीय मानसिक दिव्यांगता संस्थान (एनआईएमएच) मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों हेतु देखभाल के मॉडलों को विकसित करने, मानसिक दिव्यांगता के क्षेत्र में अनुसंधान करने तथा देश में मानसिक व्यक्तियों के साथ काम करने के लिए मानव संसाधन विकास को बढानें के लिए प्रतिबद्ध है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक दिव्यांग संस्थान (आईपीएच), नई दिल्ली

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक दिव्यांग संस्थान (आईपीएच), नई दिल्ली सोसायटिज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत 12 नवम्बर, 1976 को स्थापित किया गया था। संस्थान के बडें उद्देश्य में अस्थि दिव्यांगजनों के पुनर्वास हेतु प्रशिक्षित मानव शक्ति को विकसित करना है, आउटरीच सेवायें तथा अनुसंधान प्रदान करना है। संस्थान शिक्षा, प्रशिक्षण, कार्य समायोजन तथा ऐसी अन्य पुनर्वासीय सेवायें जैसा कि समाज मानसिक मंदबुद्धि अथवा ऐसी अन्य सहयोगी दिव्यांगता जो एक सोहार्दपूर्ण शैक्षणिक, प्रशिक्षण अथवा कार्यशाला कार्यक्रम के विकास के साथ बेमेल न समझी जाये, के साथ अस्थि दिव्यांगजनों के लिए प्रदान करता है। आईपीएच फिजीयोथरेपिस्टों तथा ऑकोपेस्नल थरेपिस्टों को प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, यह दिव्यांगजनों की शिक्षा, प्रशिक्षण, पुनर्वास हेतु यथावश्यक ऐसे यंत्रों तथा उपकरणों का निर्माण तथा वितरण भी करता है।

दिव्यांगजनों हेतु समेकित क्षेत्रीय केन्द्र (सीआरसी)

दिव्यांगजनों के पुनर्वास हेतु पर्याप्त सुविधाओं की कमी को पूरा करने के लिए, समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर), सुन्दर नगर (हिमाचल प्रदेश), लखनऊ (उत्तर प्रद्रेश), भोपाल (मध्य प्रदेश), गुवाहटी (असम), पटना (बिहार), अहमदाबाद (गुजरात), कोझीकोड (केरल), राजनंदगांव (छत्तीसगढ), नैल्लोर (आंध्र प्रदेश) तथा देवानगिरी (कर्नाटक) में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा मानव शक्ति विकास, दिव्यांगजनों हेतु पुनर्वास आदि जैसे पुनर्वास के निवारक तथा संवर्धनीय पहलुओं दोनों प्रदान करने के लिए दिव्यांगजनों हेतु सात समेकित क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना की गई है।

भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई), नई दिल्ली

भारतीय पुनर्वास परिषद पुनर्वास पेशेवरों तथा कार्मिकों के प्रशिक्षण को विनियमित करने तथा निगरानी करने, पुनर्वास तथा विशेष शिक्षा में अनुसंधान को बढानें, केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टर तथा संबंधित मामलों के रखरखाव करने के लिए गठित की गई थी।